इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक-22.02.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा तथा 80,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा तथा 80,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 22.02.1991 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादी की तहरीर के आधार पर अभियुक्त **गुड्डन उर्फ सिद्देश्वर पुत्र कैलाश बिहारी** के विरुद्ध हत्या करने के संबंध मे थाना कोतवाली पर **मु0अ0स0 92/91 धारा 302/307 भादवि पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 श्री भगवान सिंह द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त **गुड्डन उर्फ सिद्देश्वर पुत्र कैलाश बिहारी** के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना कोतवाली पुलिस टीम पैरोकार का0 राम सिंह एवं मानीटरिंग सैल व ए0डी0जी0सी0 श्री अजीत तोमर द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 22.02.2024 को अन्तर्गत धारा मु0अ0स0 92/91 धारा 302/307 भादवि में मा0 न्यायालय ADJ 9 इटावा द्वारा आजीवन कारावास की सजा तथा 80,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **गुड्डन उर्फ सिद्देश्वर पुत्र कैलाश बिहारी निवासी पक्का तालाब थाना कोतवाली जनपद इटावा।**